राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

F.59. STP/DLB/EODB(91)/17/2110 **Dated 29/9/2017**

–:कार्यालय आदेश:–

राज्य सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया यथा भवन निर्माण स्वीकृति, अग्निशमन अनापति, नगरीय विकास कर जमा करना, ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करना आदि को Online किये जाने हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा E-governance के अन्तर्गत स्मार्ट राज योजना के तहत् राज्य की समस्त निकायों हेतु Online Building Plan Approval System (BPAS) दिनांक 08.06.2016 को प्रारम्भ कर दिया था, तथापि विभिन्न नगरीय निकायों से इस संबंध में प्राप्त हो रहे पत्रों द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस प्रक्रिया को उनके नगरीय निकायों में लागु किये जाने से व्यावहारिक कठिनाईयां आ रही हैं। अतः इस तथ्य के परिपेक्ष में Online Building Plan Approval System (BPAS) को पूर्णतया प्रारम्भ नही किया जा सका था।

राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business के तहत् किये जाने वाले Business Action Plan Reforms के अन्तर्गत Online Building Plan Approval System (BPAS) को प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य हैं। ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से Online Building Plan Approval System (BPAS) को दिनांक 01.10.2017 से प्रारम्भ किया जा रहा हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति हेतु दो प्रावधान किये गये हैं:–

1. Online Building Plan Approval System (BPAS) सामान्य प्रक्रिया।
2. Online Building Plan Approval System (BPAS) Fast Track Approval प्रक्रिया। (भारत सरकार के ट्रस्ट एण्ड वैरीफाई)

उपरोक्त प्रक्रियाओं मे सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक को भवन निर्माण स्वीकृति ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत् ही अधिकतम 30 दिवस में प्राप्त हो सकेगी एवं Fast Track Approval प्रक्रिया (ट्रस्ट एण्ड वैरीफाई) के अन्तर्गत 1 दिवस में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी, तथा Fast Track Approval प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक का सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत देय शुल्क से डेढ़ गुणा अधिक राशि करायी जानी होगी।

Online Building Plan Approval System (BPAS) द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र एवं डिमाण्ड नोट अनुसार शुल्क जमा होने के पश्चात् जारी अनुमोदन अनुसार विकासकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। Online प्रक्रिया से अनुमोदित भवन मानचित्रों को नगरीय निकाय की भवन निर्माण समिति में पुष्टि हेतु रखा जाकर अन्य शर्तें एवं यदि कोई अन्य बकाया शुल्क देय है, तो निकाय द्वारा जमा कराया जाकर भूखण्ड पर Plinth Level तक निर्माण होने से पूर्व स्वीकृति जारी की जानी अनिवार्य होगी। इसके पश्चात् आवेदक/विकासकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी।

Online Building Plan Approval System (BPAS) द्वारा Online अनुमोदन की प्रक्रिया विभाग की वैबसाईट (www.lsg.urban.rajasthan.gov.in >Menu>Applicant Corner>Online Procedure for

applications/Apply Online> Building Plan Approval>Procedure/User manual/video>view>Department> Procedure/User manual>view) पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

प्रयोगिक तौर पर यह प्रक्रिया एक माह तक Online एवं Ofline दोनो क्रियाशील रहेगी, तथा एक माह बाद प्रक्रिया सम्पूर्ण कर ली जावेगी, साथ ही नगरीय विकास कर जमा कराया जाना, ट्रेड लाईसेंस हेतु स्वीकति प्राप्त करना, व अग्निशन अनापति जारी करना आदि Online System से ही की जावेगी। अतः राज्य की समस्त नगरीय निकायों को एतत्द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 01.10.2017 से समस्त निकायों में भवन मानचित्रों का अनुमोदन Online Building Plan Approval System (BPAS) के तहत् ही किया जावेगा।

Online प्रक्रिया में आवेदन (आवेदक द्वारा) तथा निस्तारण (निकाय द्वारा) के दौरान BPAS Application के संबंध में किसी तकनीकी जानकारी के संबंध में नियुक्त प्रभारी अधिकारी श्री अफरोज (मो.न. 9782396862 एवं श्री जितेन्द्र (मो. न. 08559857515) को Grievances प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(डॉ0 मनजीत सिंह) 29/9/17
प्रमुख शासन सचिव

F.59. STP/DLB/EODB(91)/17/2111-022 **Dated 29/9/2017**

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर जोन।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/ उदयपुर/भरतपुर ।
8. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
10. श्री देवेन्द्र कुमार जिन्दल, प्रभारी अधिकारी मोनिटरिंग, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

29/9
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव